भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 640

(दिनांक 22.07.2026 को उत्तर देने के लिए)

स्वतंत्र और क्षेत्रीय फ़िल्म निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

640. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गुणवत्तापूर्ण और विषयवस्तु-प्रधान फिल्में बनाने वाले अनेक फिल्म निर्माताओं को वित्तपोषण, उच्च उत्पादन लागत, आधुनिक स्टूडियो और निर्माण के बाद (पोस्ट-प्रोडक्शन) की सुविधाओं तक सीमित पहुँच और अंतरराष्ट्रीय विपणन के लिए अपर्याप्त सहायता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन चुनौतियों के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की अपनी पहचान मजबूत करने और अवार्ड प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, नासिक और पुणे में उपलब्ध फिल्म निर्माण, निर्माण के बाद और फिल्म सिटी अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के स्वतंत्र और क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन, सह-निर्माण सुविधाएं और समर्पित प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान करने का है; और

(ङ) अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाजारों में भारतीय फिल्मों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा महाराष्ट्र के फिल्म इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): फिल्मी सामग्री के विकास, संचार एवं प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम के अंतर्गत सरकार क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी पहल से

महाराष्ट्र सहित देशभर के फिल्म निर्माताओं को लाभ मिलता है तथा भारत के फिल्म इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सरकार ने भारतीय फिल्म इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने तथा भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए भी अनेक पहलें की हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से ऐसे फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों एवं फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्म निर्माताओं की भागीदारी को सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) जैसे उद्योग संगठनों के साथ मिलकर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के अवसर सृजित करने के लिए भी कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय सिनेमा के संवर्धन तथा भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योगों के बीच सहभागिता को सुगम बनाने के उद्देश्य से गतिविधियों के आयोजन हेतु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी पहलों में वेव्स बाज़ार, वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब्स, व्यूइंग रूम्स, फिल्म मार्केट तथा अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण को सुगम बनाने संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म भारतीय फिल्म निर्माताओं को परियोजना विकास संबंधी सहायता, नेटवर्किंग के अवसर तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं।

महाराष्ट्र विश्वस्तरीय अवसंरचना एवं सुविधाओं के साथ देश के प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्रों में से एक बना हुआ है। मुंबई के गोरेगांव में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी (फिल्म सिटी) स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे तथा भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), मुंबई जैसे संस्थान इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, मुंबई, पुणे तथा नासिक में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्रोडक्शन एवं पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं का एक व्यापक नेटवर्क भी कार्यरत है।

फिल्म क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का और गहन परीक्षण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। इस समूह की रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीतिगत पहलें तैयार की जाएंगी।
